प्रेस विज्ञप्ति

18-11-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 17.11.2025 को दुबई (यूएई) स्थित नौ आलीशान विदेशी अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां अपार्टमेंट और व्यावसायिक स्थानों के रूप में हैं, जिनकी कीमत 51.70 करोड़ रुपये है। उक्त कुर्की मेसर्स एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एओपीएल), इसके निदेशकों, गारंटरों और इसके मुख्य निदेशक/महत्वपूर्ण लाभार्थी स्वामी श्रीकांत भासी सहित संबंधित व्यक्तियों द्वारा की गई बैंक धोखाधड़ी के मामले में की गई है, जिससे भारतीय स्टेट बैंक को 1266.63 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। कुर्क की गई संपत्तियां श्रीकांत भासी की हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी बेटी को उपहार में दिया था।

सेंचुरियन रेजिडेंस - दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क सेकंड, दुबई सिलिकॉन ओएसिस, लीवा हाइट्स (अल थान्याह फिफ्थ), बिजनेस बे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रेजिडेंस में स्थित उक्त विदेशी संपत्तियां बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी) से अर्जित की गई पाई गईं, जहां एसबीआई, शाहपुरा शाखा को 1266.63 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ है।

ईडी की जाँच से पता चला कि श्रीकांत भासी, जिन्होंने एओपीएल और उसकी संबद्ध संस्थाओं पर रणनीतिक नियंत्रण रखा था, ने दुबई में उक्त विदेशी संपत्तियाँ अर्जित की थीं।बाद में, इन संपत्तियों को जानबूझकर 2022-2023 में निष्पादित उपहार विलेखों के माध्यम से उनकी बेटी को उपहार में दे दिया गया, बिना किसी प्रतिफल के, ताकि पीओसी को छिपाया जा सके। ये संपत्तियाँ एओपीएल और उसकी समूह संस्थाओं द्वारा अवैध व्यापारिक लेनदेन, बैंक निधियों के डायवर्जन, दस्तावेजों के निर्माण, सर्कुलर ट्रेडिंग और अवैध आय के स्तरीकरण के माध्यम से उत्पन्न धन से अर्जित की गई थीं।

जांच के दौरान, यह पता चला कि एओपीएल द्वारा अनिवार्य मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने और एलसी रोलओवर के समय धनराशि नहीं डाल पाने के बाद, अप्रैल-मई 2018 के बीच 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 1266.63 करोड़ रुपये) के 12 विदेशी साख पत्र (एफएलसी) एसबीआई को हस्तांतरित किए गए थे। सावधि जमा मार्जिन में कमी और कंपनी द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता के कारण, बैंक को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को काफी नुकसान हुआ। ये हस्तांतरित एलसी पीओसी का एक प्रमुख घटक हैं, जिन्हें बाद में संबंधित संस्थाओं के माध्यम से स्तरीकृत और लांड्रिंग किया गया और विदेशी संपत्ति प्राप्त करने के लिए उपयोग किया गया।

ईडी की जाँच में घरेलू और विदेशी संस्थाओं के एक नेटवर्क का भी पता चला है, जिसका इस्तेमाल भारत और विदेशों में धन के स्तरीकरण, धन के हेर-फेर और संपत्ति अधिग्रहण के लिए किया जाता है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।